

# FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बलराम बनाम राजेश्वरी

किस्म मुकदमा नं. 54 सन 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
7-10-20	<p>Covid-19 संक्रमण के से कामरत पञ्चावलि के से इकजाये लकीर प्रक्रियों दिये जाये पर पञ्चावली आपर से हुई वकील वादी उपस्थित/अति कादीय के कामरत लकीर केकर नभे लीर है। लइकजार साप ह्ये समरत कामील पञ्चावली दिनांक 30-12-20 को पेश है। P2 सापक अन्य कामरत में व्यक्त है।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
30-12-20	<p>पञ्चावली पेश हुई। वकलाय फोरम उप/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी लीर/अन्य कामरत में अस्त/मीटिंग में है। पञ्चावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22-2-21 को पेश हो।</p> <p><i>[Signature]</i></p>	
22.01.2021	<p>वकील वादी के प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश करने पर पत्रावली तारीख पेशी 22.02.2021 से पूर्व तलब होकर आज पेश हुई। वकील वादी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से संलग्न प्रस्तुत राजीनामा को शामिल पत्रावली कर प्रकरण को आगे नहीं चलाकर वाद पत्र को विद्धा कर खारिज किये</p>	<p><i>[Fingerprint]</i></p> <p>20/02/21</p> <p>बलराम लोचन</p> <p>वकील माधोपुर</p> <p>12/01/21</p> <p><i>[QR Code]</i></p> <p>20/02/21</p> <p>12/02/21</p>

तारिख हुकम  
 हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज  
 नम्बर जलौगीय  
 अहमम जो हुकम  
 की मालीय  
 में की हु

कलराम बनारस रामेश्वरी वर्मा

द/व

क्र.सं. - 54/18

जाने का निवेदन किया है। अतः वकील वादी के निवेदन पर वाद पत्र को विद्धा कर खारीज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

( लक्ष्मीकान्त गुप्ता )  
 उपखण्ड अधिकारी  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)  
 श्रीमाधोपुर (सीकर)